


अपूर्ण क्षति:- प्रथम दोनों बिंदू सायल के पक्ष साबित हुए है। हस्तगत प्रकरण में सायल व गैरसायलान अभिलिखित खातेदार है। गैरसायलान सायल की मौके व कब्जा काशत की भूमि पर दखलअंदाजी करते आ रहे है एवं गैरसायलान विशिष्ट भूभाग का बेचान अजनबी केता को कर दिया जाता है यदि गैरसायलान अपने मंसूबो में कामयाब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सायल को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार यदि सायल के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।


वकील उभयपक्षकारान ने दौराने बहस वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है व बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **उभयपक्षकारान** को वादग्रस्त आराजी का मौके व राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र वादी/सायल अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद सरहद मौजा बैडकलां पटवार हल्का बैडकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण जिला ब्यावर मे खसरा नम्बर 529 रकबा 0.6556 हैक्टयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.5827 हैक्टयर किस्म बारानी अब्बल, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.9389 हैक्टयर किस्म बारानी अब्बल का राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)